भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 608
25 जून, 2019 को उत्तर देने के लिए

खाद्य उत्पादों की बर्बादी

608. श्री ए. राजा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य उत्पादों के उत्पादन की प्रतिशतता और इनकी बर्बादी का तमिलनाडु सहित देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देशभर में वर्ष-दर-वर्ष खाद्य उत्पादों की बर्बादी की प्रतिशतता बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा अब तक किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य उत्पादों की बर्बादी कम करने और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) **और (ख)** केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट), लुधियाना द्वारा वर्ष 2010 और 2015 में "भारत में प्रमुख फसलों एवं जिन्सों की फसल एवं फसलोत्तर हानियों का मात्रात्मक आकलन" पर किए गए अध्ययन के अनुसार प्रमुख कृषि उपजों की फसल एवं फसलोत्तर हानियों की वार्षिक अनुमानित संचयी प्रतिशतता निम्नानुसार हैः

कृषि उपजें	**संचयी बर्बादी (प्रतिशत)**	
	वर्ष 2010 की रिपोर्ट (फसल वर्ष 2005-06)	**वर्ष 2015 की रिपोर्ट (फसल वर्ष 2012-13)**
अनाज	3.9-6.0	4.65-5.99
दालें	4.3-6.1	6.36-8.41
तिलहन	2.8- 10.1	3.08-9.96
फल एवं सब्जियां	5.8-18.0	4.58-15.88
दूध	0.8	0.92
मत्स्यिकी (अंतरर्देशीय)	6.9	5.23
मत्स्यिकी (समुद्री)	2.9	10.52
मांस	2.3	2.71
पॉल्ट्री	3.7	6.74

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज की बर्बादी में कमी करने एवं प्रसंस्करण स्तर एवं मूल्यवर्धन बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता रहा है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अब 14वें वित्त आयोग चक्र की सह-समाप्ति के साथ वर्ष 2016-20 तक की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला स्कीम चला रहा है । पीएमकेएसवाई की सात घटक स्कीमें अर्थात (i) मेगा फूड पार्क, (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना, (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, (iv) बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सृजन, (v) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार,(vi) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और (vii) मानव संसाधन एवं संस्थान हैं । पीएमकेएसवाई संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ अर्थात खेत से लेकर उपभोक्ता तक मजबूत आधुनिक अवसंरचना का सृजन करने के लिए डिजाइन की गई है । किसान, किसान उत्पादक संगठन, उद्यमी, सहकारी समितियां, सोसाइटियां, स्व-सहायता समूह, निजी कंपनियां और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि देश में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए इन स्कीमों के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर चयनित राज्यों में 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसल मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास हेतु पीएमकेएसवाई की वर्टीकल स्कीम के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम "ऑपरेशन ग्रीन्स" चला रहा है ।

(घ) तमिलनाडु सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । परंतु, अन्य आवेदकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और संगत स्कीमों के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाएं स्वीकृत की गईं हैं ।

*****